

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

दावा संख्या
226/18

दायरा दिनांक
17.07.2018

अंतिम निर्णय दिनांक
13.05.2019

1 भौरैलाल पुत्र श्री फकीरचन्द जाति जाटव निवासी 52ए पुरुशार्थ नगर - सी जयपुर हाल
जाटव बैरवा छात्रावास के पास खुदनपुरी नमन होटल के पीछे अलवर जिला अलवर।

वादी-

बनाम

- 1 मुरलीधर पुत्र प्रभुदयाल
- 2 चमेली पत्नी प्रभुदयाल
- 3 मुनीम कुमार
- 4 नवलकिशोर
- 5 भगत सिंह पुत्रान प्रभुदयाल जातियान हरिजन निवासीयान नाहरेडी तह0 मुण्डावर, अलवर।
- 6 सुभनाराम पुत्र मुखराम जाति चमार निवासी फतेहपुर तह0 बानसूर, अलवर।
- 7 भौरैलाल पुत्र मवासी जाति जटिया निवासी नाहरेडी तह0 मुण्डावर, अलवर।
- 8 तहसीलदार मुण्डावर, जिला अलवर राज0।
- 9 उपपंजियक मुण्डावर, जिला अलवर राज0।
- 10 शाखा प्रबंधक एबीएजीबी शाखा जिन्दौली तह0 मुण्डावर जिला अलवर।

प्रतिवादीगण-

दावा तकासमा बम्य हु0 ई0 दवामी

वादी की ओर से श्री रणवीर सिंह यादव एडवोकेट एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री सरजीत सिंह चौधरी एडवोकेट की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 13.05.2019 को योगेश कुमार डागुर उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि-

हाल अराजी ख0न0 25/1.33 हैक्ट0 वाके ग्राम नाहरेडी तह0 मुण्डावर जिला अलवर के बाबत वादी के वाद को अंतिम डिक्री किया जाकर मुताबिक तहसीलदार मुण्डावर जरिये पत्रांक 660 दिनांक 26.02.2019 प्रस्तुत कुरेजात प्रस्ताव रिपोर्ट खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार हाल राजस्व नक्शा में तितम्बा काटा जावे। बैंक रहन की स्थिति में उक्तानुसार उभय पक्षकारान को प्राप्त होने वाले हिस्से, रकबे, आराजी से बैंक ऋण राशी वसूलनीय रहेगी प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव प्रदर्श-अ अंतिम निर्णय एवं अंतिम पर्चा डिक्री की अभिन्न अंग रहेगी उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे"

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(योगेश कुमार डागुर)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर

मूल वाद में (प्रारम्भिक) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

पीठासीन अधिकारी:-

साधू राम जाट, आर.ए.एस.

दावा संख्या

दायरा दिनांक

प्रारम्भिक निर्णय दिनांक

226 / 18

17.07.2018

12.10.2018

1. भौरैलाल पुत्र फकीर चन्द जाति जाटव निवासी 52ए पुरुषार्थ नगर- सी जयपुर हाल जाटव बैरवा छात्रावास के पास खुदनपुरी नमन होटल के पीछे अलवर जिला अलवर,

.....वादी

बनाम

1. मुरलीधर पुत्र प्रभूदयाल
2. चमेली पत्नि प्रभूदयाल
3. मुनीम कुमार
4. नवलकिशोर
5. भगत सिंह पुत्रान प्रभूदयाल जाति हरिजन निवासियान नाहरेडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर
6. सुगना राम पुत्र मुखराम जाति चमार निवासी फतेहपुर तहसील बानसूर, अलवर
7. भौरैलाल पुत्र मवासी जाति जटिया निवासी तहसील मुण्डावर जिला अलवर
8. राजस्थान सरकार जरिये लैण्डहोल्डर तहसीलदार, मुण्डावर
9. उपपंजियक मुण्डावर जिला अलवर
10. शाख प्रबंधक एबीएजीबी शाखा जिंदोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर

.....प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजी

वादी की ओर से श्री रणवीर सिंह यादव एडवोकेट एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री सरजीत सिंह चौधरी एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.10.2018 को साधू राम जाट उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष प्रारम्भिक निर्णय के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्रारम्भिक डिक्री दी जाती है कि-

आराजी खसरा नं. 25/1.33 हे0 वाके ग्राम नाहरेडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत वादी के वाद को प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है। इस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को मगवाये जाने कुर्रैजात प्रस्ताव अहकाम जारी हो। बाद प्राप्ति कुर्रैजात प्रस्ताव दिनांक 17.12.2018 को पेश हो।

यह प्रारम्भिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.10.2018 को लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

(साधू राम जाट)
 उपखण्ड अधिकारी
 मुण्डावर जिला अलवर